न्यायालय सहायककलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द

मुकदमा नम्बर -792/18 [illegible] अनवान [illegible] बनाम [illegible]

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
25.03.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी को रूक–रूक कर आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी का प्रतिवादीगण/विपक्षीगण से कोई समझोता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहते है अथवा वादी/प्रार्थी अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नही है। अतः वादी/प्रार्थी की और से प्रकरण मे पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नही होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] (बृजेश गुप्ता R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद	

Scanned with ACE Scanner